उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्याः 5/2025/202/तीस-4-2025-99/98
लखनऊः दिनांकः 28 मार्च, 2025

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 9 के प्राविधानों के अनुसरण में राज्यपाल मेसर्स लखनऊ हैजार्ड्स ट्रेनिंग स्कूल, प्लाट संख्या-27, खसरा संख्या-907, सरैया टोला, मड़ियांव, जानकीपुरम, लखनऊ को मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल ढोने वाले वाहन चलाने वाले व्यक्तियों को, उक्त नियम के अधीन प्रशिक्षण देने के लिए इस शर्त के अध्यधीन मान्यता प्रदान करते हैं कि उक्त संस्थान ऐसा प्रशिक्षण देने के लिए सम्बन्धित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) से शासनादेश संख्या-14/2023/603/XXX-4-2023-99/98, दिनांक 27 अप्रैल, 2023 में निर्धारित प्रारूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा।

आज्ञा से,

एल० वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh

संख्या- 5/2025/202/तीस-4-2025-99/98(1)/तीस-4-2025-99/98 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 28 मार्च, 2025 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या-5/2025/202/तीस-4-2025-99/98(2)/तीस-4-2025-99/98, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. सम्बन्धित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4. सम्बन्धित संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5. अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
7. मेसर्स लखनऊ हैजार्ड्स ट्रेनिंग स्कूल, प्लाट संख्या-27, खसरा संख्या-907, सरिया टोला, मड़ियांव, जानकीपुरम, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

http://si

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.5/2025/202/XXX-4-2025-99/98, dated 28 March, 2025.

Notification

no.5/2025/202/XXX-4-2025-99/98
Lucknow: Dated 28 March, 2025

In pursuance of the provisions of rule 9 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Governor is pleased to recognise M/s Lucknow Hazardous Training School, Plot No.27, Khasra No. 907, Saraiya Tola, Madiyaon, Jankipuram, Lucknow for imparting the training under the said rule, to a person driving a goods carriage carrying goods of dangerous or hazardous nature to human life subject to the condition that the said institute shall obtain a licence in form as prescribed in government order no. 14/2023/603/XXX-4-2023-99/98, dated 27 April, 2023 from the concerned Deputy Transport Commissioner (Zone).

By order,

L.Venkateshwar Lu
Principal Secretary

http://sh